न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 10/2018

धर्मेश जैफ पुत्र श्री मूलचन्द मीणा जाति मीणा, निवासी 4, श्री विहार, रामपथ, होटल क्लार्स आमेर के पास, जे.एल.एन. मार्ग जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. तहसीलदार तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
2. उप पंजीयक, जमवारामगढ जिला जयपुर।
3. बालकृष्ण पुत्र श्री जगदीश नारायण निवासी ग्राम टोडा मीणा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार जमवारामगढ जमवारामगढ खोले गये नामान्तकरण दिनांक 05.01.2018

निर्णय दिनांकः 23.04.2018

अपीलांट ने यह अपील ग्राम छापरा, तहसील जमवारामगढ स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 306/2 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, खसरा नंबर 303 रकबा 0.49 का नामान्तकरण संख्या 117 खोले जाने की कार्यवाही से असंतुष्ट होकर दिनांक 21.03.2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार शर्मा उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ से विचाराधीन मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस विद्वान उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलार्थी की वाके ग्राम छापर तहसील जमवारामगढ में स्थित आराजी खसरा 306/2 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, खसरा नंबर 303 रकबा 0.49 भूमि का नामान्तकरण संख्या 117 खोले जाने की कार्यवाही विधि विरूद्व है जो निरस्तनीय है। उपपंजीयक जमवारामगढ द्वारा अपीलाधीन भूमि का पंजीबद्व विनिमय पत्र दिनांक 02.01.2018 पूर्ण मुद्रांकित नहीं होने पर विधि विधान के विपरीत होने से निरस्तनीय है। दिनांक 02.01.2018 को एक विनिमय पत्र रेस्पाडेन्ट संख्या 3 एवं लक्ष्मण पुत्र भैरा निवासी ग्राम छापर तहसील जमवारामगढ के मध्य अपीलाधीन भूमि का विनिमय पत्र हुआ। विनिमय करने वाले पक्षकार आपस में परिवार के सदस्य नहीं थे। रेस्पाडेन्ट संख्या 3 ने मुद्रांक शुल्क बचाने के लिए क्रय की गई भूमि को विनिमय करने की कार्यवाही की है जिससे सरकार को राजस्व हानि हुई है। रेस्पाडेन्ट संख्या 3 ने 2150 वर्गमीटर भूमि का देकर 2450 वर्गमीटर भूमि का विनिमय अपने पक्ष में किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उक्त गलत विनिमय पत्र दिनांक 02.01.2018 के आधार पर नामान्तकरण को

अपीलाधीन नामान्तकरण तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा तस्दीक ही नहीं किया गया है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 117 दिनांक 05.01.2018 सरपंच ग्राम पंचायत बासना द्वारा तस्दीक किया गया है जिसको सुनने का अधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक नामान्तकरण को सुनने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी हो है। अपीलाधीन नामान्तकरण की कार्यवाही विनिमय पत्र के आधार पर की गई है जिसे शून्य घोषित करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। रेस्पाडेन्ट संख्या 3 द्वारा नियमानुसार विधिक प्रकिया अपनाकर ही विनिमय पत्र निष्पादित किया गया है। अपीलान्ट का अपीलाधीन भूमि से कोई सरोकार नहीं है। अतः अपील प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण सरपंच ग्राम पंचायत छापरा द्वारा ही तस्दीक किया गया नामान्तकरण पर अन्तिम निर्णय तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा पारित नहीं किया गया है इसलिए अपील खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण के आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अपीलधीन नामान्तकरण संख्या 117 ग्राम छापरा, तहसील जमवारामगढ के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त नामान्तरकरण अपीलाधीन भूमि पर उपपंजीयक जमवारामगढ द्वारा पंजीबद्व विनिमय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा भरा जाकर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच कर वास्ते तस्दीक पेश किया गया। जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत बासना द्वारा ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 05.01.2018 प्रस्ताव संख्या 2 द्वारा अनुमोदन कर सर्वसहमति से स्वीकार कर तस्दीक किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण पर अन्तिम आदेश तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा पारित नहीं किया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत बासना द्वारा किया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत बासना द्वारा तस्दीक किये जाने के कारण अपीलाधीन नामान्तकरण का सुनवाई क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में निहित नहीं होकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को निहित है। अपीलाधीन नामान्तकरण उपपंजीयक जमवारामगढ के यहां पंजीबद्व विनिमय पत्र के आधार पर खोला गया है। विनिमय पत्र को निरस्त करने का अधिकार माननीय सिविल न्यायालय को निहित है।

अपीलाधीन नामान्तकरण पर किसी प्रकार का अन्तिम निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा पारित नहीं किया गया । इसलिए अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 117 ग्राम छापरा तहसील जमवारामगढ पर अन्तिम निर्णय तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा नहीं होने से अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाने का कोई ठोस आधार नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

23/4/18

(डा. मोहन लाल यादव)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर